

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

मंगलवार, 28 माघ, शक संवत् 1947

(17 फरवरी, 2026 ई0)

खण्ड-531
अंक-07

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे
श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष द्वारा सीताराम वर्मा को आज उनके जन्म दिन
के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गई।

आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-301 के अन्तर्गत
93 सूचनाएं प्राप्त हुईं। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार
की गयीं :-

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा	जनपद-फिरोजाबाद में जैन मन्दिर से रेलवे स्टेशन तक निर्मित रोड पर स्वच्छता हेतु कचरा निष्पादन व्यवस्था के सम्बन्ध में।
2	श्री देवेन्द्र सिंह लोधी	जनपद-बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम परवाना में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री देवेन्द्र कुमार निम	जनपद-सहारनपुर के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	जनपद-फतेहपुर के जहानाबाद में जर्जर मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
5	श्री कैलाश नाथ	जनपद-बलरामपुर के तुलसीपुर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सभागार के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में।
6	श्री राजेश त्रिपाठी	जनपद-गोरखपुर के उरुवा में जल निकासी की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
7	श्री अशरफ अली खान	जनपद-शामली के विकास खण्ड शामली में कतिपय बाइपास के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री संदीप सिंह	जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में मार्ग के नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	इंजी० सचिन यादव उर्फ जखई	कम आयु वाले युवाओं को नशा मुक्ति से सम्बन्धित सरकार द्वारा जनपदवार चलाये गये कार्यक्रमों में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी विषयक।
10	श्रीमती जय देवी	जनपद-लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में।
11	श्री राजपाल सिंह बालियान	जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत कस्बा बुढाना में हिंडन नदी के पास बाईपास मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
12	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत छितौनी में संयुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री शहजिल इस्लाम अंसारी	जनपद-बरेली के भोजीपुरा में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
14	श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी)	जनपद-जालौन के उरई में कतिपय सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री विकास गुप्ता	जनपद-फतेहपुर में कतिपय स्थान पर सी०सी० रोड व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।
16	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद-बाँदा के सदर में कतिपय स्थान पर लिफ्ट कैनाल की स्थापना के सम्बन्ध में।
17	श्री बेचई सरोज	जनपद-आजमगढ़ के लालगंज में कतिपय पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में।
18	डॉ० आर० के० पटेल	जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
19	श्री विवेक कुमार वर्मा	जनपद-पीलीभीत के बीसलपुर में कतिपय मार्ग के नवनिर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
20	श्री राम अचल राजभर	जनपद-अम्बेडकरनगर के अकबरपुर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
21	श्रीमती सैय्यदा खातून	जनपद-सिद्धार्थनगर में कतिपय सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में।
22	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद-रायबरेली के ऊँचाहार विधान सभा क्षेत्र के खण्ड विकास कार्यालय की बाउण्ड्री का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री सुहेब उर्फ मन्नु अंसारी	राजस्व विभाग में वैयक्तिक सहायक तथा आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1998 के अन्तर्गत पदोन्नति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री राजीव गुम्बर	जनपद-सहारनपुर के नवाबगंज जेल चुंगी मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
25	श्री गणेश चन्द्र	जनपद-सन्तकबीरनगर के नाथ नगर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
26	श्री रत्नाकर मिश्रा	जनपद-मिर्जापुर में बाबुरा-अकोठी मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में।
27	श्री उमर अली खान	जनपद-लखनऊ के इन्दिरानगर में कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
28	श्री जवाहल लाल राजपूत	जनपद-झांसी के मोंट तहसील में कतिपय स्थान पर बस स्टैंड के निर्माण के सम्बन्ध में।
29	श्री विनोद चतुर्वेदी	जनपद-जालौन के कालपी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नहर की सिल्ट सफाई पर कुल प्राप्त बजट के खर्च की जानकारी मांगे जाने के सम्बन्ध में।

आज नियम-300 के अन्तर्गत 01 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

कार्यपालिका का विधायिका एवं न्यायपालिका में हस्तक्षेप विषयक अपनी व अन्य की औचित्य के प्रश्न की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए नेता विरोधी दल ने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का अपना-अपना अधिकार क्षेत्र है। इन तीनों में से किसी को दूसरे के अधिकारों के हनन का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कार्यपालिका, विधायिका पर हावी होती जा रही है तथा जुडिशियरी को भी प्रभावित कर रही है। अधिकारियों/कर्मचारियों को मा० विधायक के टेलीफोन उठाने चाहिये, लेकिन वह मनमाने ढंग से स्वतन्त्र हो गये हैं। पीठ के निर्देश को भी वह नहीं मान रहे हैं। कार्यपालिका अपने अधिकार

क्षेत्र से परे जाकर विधायिका के अधिकार क्षेत्र पर हावी होने की कोशिश करके लोकतन्त्र को कमजोर कर रही है। पीठ द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना व्यवस्थापिका की अवहेलना है। उन्होंने पीठ से इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने की मांग की। श्री कमाल अख्तर, डॉ0 संग्राम यादव तथा डॉ0 रागिनी ने इस पर बल दिया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री से बात करके व्यवस्था निर्धारित की जाएगी।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्थापिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप पर घोर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष का यह आरोप निराधार है। अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के टेलीफोन न उठाए जाने के विषय पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि मा0 सदस्यगण के फोन का वे उत्तर अवश्य दें। यदि तत्समय अधिकारीगण मीटिंग में हैं तो बाद में कॉल बैक करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार ऐसे किसी कृत्य को बर्दाश्त भी नहीं करेगी।

इस पर श्री अध्यक्ष की अनुमति से समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने कहा कि कार्यपालिका अधिकारी तन्त्र नहीं है बल्कि निर्वाचित मंत्री-परिषद् है और मंत्री-परिषद् के निर्देश पर ही अधिकारी/कर्मचारी कार्य करते हैं। अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यगण के फोन न उठाए जाने के विषय पर उन्होंने कहा कि हम लोग अभी विधान सभा में बैठे हैं, सम्भव है कि कोई महत्वपूर्ण फोन आ रहा हो, वह हम नहीं सुन पायेंगे क्योंकि हमने अपना फोन किसी सहयोगी को दे रखा है और जब हम बाहर निकलेंगे तो उनको कॉल बैक करेंगे। इस बात को हम सब समझते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी सरकारी अधिकारी को फोन करते हैं, वह फोन नहीं उठा रहा है, तो हो सकता है कि वह छुट्टी पर हो अथवा बीमार हो। कुछ अधिकारी सुस्त होते भी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसा फोन नम्बर बनाया जाये, जिस पर सदस्यगण अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने की अपनी शिकायत दर्ज करा सकें, फिर उस नम्बर, जो पहले से ही अधिकारियों के पास सेव हो, से सम्बन्धित अधिकारी को काल करके पूछा जाए कि मा0 सदस्य के फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं तथा तुरन्त कालबैक करने के लिए कहा जाए।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो वर्ष (2009-2010), (2020-2021) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का मदरसा फरहते निस्वा मरियाडीह बेगमसराय, इलाहाबाद, मदरसा इस्लामिया अहलेसुन्नत हस्मतुलउलूम, रामपुरकटरा, बाराबंकी से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो वर्ष (2011-2012), (2015-2016) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का नवम् प्रतिवेदन, जो वर्ष (2008-09) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, फैजाबाद तथा जिला रेडक्रास एवं प्रसूति बाल कल्याण केन्द्र, सहारनपुर से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का दशम् प्रतिवेदन, जो वर्ष (2010-2011) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित खेल-कूद एवं युवा कल्याण विभाग का उ0प्र0 स्पोर्ट्स मैन वेलफेयर फण्ड (खेल-कूद अनुभाग) लखनऊ से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का ग्यारहवाँ प्रतिवेदन, जो वर्ष (2018-2019), (2019-2020), (2020-2021) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित माध्यमिक शिक्षा विभाग का (लाला बैजनाथ जानकी पाठशाला इण्टर कालेज, तिलहर शाहजहाँपुर), (महाकवि सूर संस्कृत इण्टर कालेज संतवास मुरादनगर, गाजियाबाद), (विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, मिल्की, अयोध्या), (जनता इण्टर कालेज, जय सिंह मऊ, अयोध्या) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का बारहवाँ प्रतिवेदन, जो वर्ष (2020-2021) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित गौ-वंश संरक्षण एवं सम्वर्धन विभाग का (गौ-संरक्षण एवं सम्वर्धन कोष, कुशीनगर), (निराश्रित गौ-वंश आश्रय स्थल, गाजियाबाद), (आश्रय गौ-वंश स्थल, गोरखपुर) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2025-2026) का तेरहवाँ प्रतिवेदन, जो वर्ष (2018-2019), (2017-2018), (2013-2014), (2010-2011), (2011-2012) के लिए प्रतिवेदन में उल्लिखित कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग का (कृषि उत्पादन मण्डी समिति, प्रतापगढ़), (कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ) से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2025-2026) का पंचम् प्रतिवेदन, जो बेसिक शिक्षा विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत किया।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, प्राक्कलन समिति ने उत्तर प्रदेश अट्टारहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2025-2026) का षष्ठम् प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2019-2020, 2020-2021 तथा 2021-2022 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत किया।

श्री अमोल मुर्कुट, आई0पी0एस0 आर0आर0-2021, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना सचेण्डी, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विरुद्ध श्री अभिजीत सिंह सांगा, मा0 सदस्य, विधान सभा, बिठूर, कानपुर नगर द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 31-05-2024 के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रकरण विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के प्रश्न से अन्तर्ग्रस्त नहीं होता है, जिसके कारण सम्बन्धित प्रकरण निक्षेपित किया जाता है।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत सकहन राजपुतान में अशोक कुमार पाण्डेय के दरवाजे से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र-79, सादाबाद में सादाबाद राजवाह स्थित ग्राम मंस्या पर वीरेंद्र सिंह पुत्र शिवचरण सिंह के ट्यूबवेल के सामने पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मेरठ के विकास खण्ड सरूरपुर खुर्द के नगर पंचायत खिवाई में यूनूस के खेत से गौशाला होते हुए मेरठ बड़ौत रोड तक लगभग 02 किमी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यार मौहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम बन्ती खेड़ा में नासिर के मकान से हाथी करौदा बिजली घर मार्ग तक लम्बाई लगभग 1100 मी0 जर्जर मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहरबान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-250, दीदारगंज की ग्राम पंचायत असाढ़ा से देवापुर तक ल0 लगभग 01 किमी0 का जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हबीब व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के विकास खण्ड जहानागंज के ग्राम अवाव से इदिलपुर होते हुए कुंजी तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के ब्लॉक सिकन्दराबाद में ग्राम विसवाना से ग्राम खेरपुर तिल तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

इंजी0 बृजेश कटेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के विकास खण्ड किशनी में रटेह मार्ग से रतनपुर होकर समदपुर तक एवं विधूना मार्ग से जटपुरा तक के मार्ग के डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामखिलाड़ी सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र-111, गुन्नौर के बबराला चरूपुर मार्ग से दुष्टाकला तक विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत जल निकासी एवं सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गौरव कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के ब्लाक हरख में बांदा-बहराइच मार्ग से पिपरौली सम्पर्क क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश चन्द गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के तहसील पटियाली के अन्तर्गत एटा सिद्धपुर मार्ग श्यामपुर चौराहे से गाँव तक सी0सी0/इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देव सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के आगरा महानगर के वार्ड-88, के सिकन्दरा स्मारक के निकट बाईपास रोड पर गड्ढे में हो रहे जल भराव से फैल रही बीमारी के सम्बन्ध में श्री रामकुमार जादौन व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर में ईवी एसी बस सेवा को जहानाबाद/अमौली/चाँदपुर तक विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक चरथावल में सल्हाखेड़ी पुल के पास से सुधीर पुत्र श्री अजब सिंह के घर के पास से बुटराडा सम्पर्क मार्ग जनपद की सीमा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड हसवा के अन्तर्गत ग्राम नरैनी में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सिंटू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के ग्राम फतेहपुर नसीरपुर में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चकिया सड़ान मार्ग से मकुन्दपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत कटकावली से राजापुर मार्ग पर जाने के लिए

सई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन सिंह वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अजय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज के अन्तर्गत स्थित चकरौता कडरू आटा अकोहरी बन्धा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० एम० पी० आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड भदपुरा के ग्राम विशेषरपुर के करमलापुर महाराब खां ज्योति जागीर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशी कपूर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र में मछलीशहर ब्लाक मुख्यालय से नानराखुर्द, टकारडीलह होते हुए ग्राम सभा बेलासिन तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यभान यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू, ग्राम अजुआ शाखा मुख्य मार्ग से दसौती तालाब बाग होते हुए डी०पी० तिवारी तालाब तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा सरोज व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सत्यपाल सिंह राठौर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद एटा के विकास खण्ड जैथरा में दहेली माइनर के अन्तिम क्षोर को काली नदी तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री महिपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद एटा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री नन्दकिशोर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अन्तर्गत चिरौडी-मेवला भट्टी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पल्लूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्तगंज के परिसर में संविधान निर्माता डॉ० बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती गुड़िया देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के अन्तर्गत फफूँद-औरैया मार्ग पर देवरपुर, शेरपुर सरैया, नहरपुल से औरैया का छूटा हुआ भाग व सेंगर नदी पर

अधूरा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुँवर सिंह वाथम व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम मामन खुर्द में अहमद सईद के घर से दर्शन सिंह के घर तक के रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कमलेश व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा के काशीराम कॉलोनी सदरपुर में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक नारायण व अन्य निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर मैनवारा ग्राम से सिद्ध बाबा मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल पुरोहित व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

इंजी० सचिन यादव उर्फ जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना के विकास खण्ड हाथवंत के ग्राम नगला उम्मेद के मध्य से निकली गूग/नाले का नगर उम्मेद के आबादी भाग में सी०सी० नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रप्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के ग्राम सभा कोरिहर के दुनियापति का पुरवा गांव से ग्राम सभा हाजीपुर जोड़ने वाले मार्ग ग्राम दुनियापति के पुरवा रामनाथ लोधी के घर से गांव महेशी का पुरवा राजू लोधी के घर के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद की बिलारी विधान सभा क्षेत्र को बुनकर सूत डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ० आरिफ व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र शुकुन बाजार के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कमदूमपुरकला में गोमती नदी पर स्थित खिरकी घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड खुदागंज के अन्तर्गत खुदागंज से नवादा दरोबस्त होते हुए ग्राम बरसिया जनपद पीलीभीत बॉर्डर तक क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन की तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत अतरेहटी से कछार की मड़ैया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में विजयपुरा मटसैना रोड से सडामई बरामई रोड तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलकिशोर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद के ग्राम मुलही में सुशील तिवारी के खेत से मइकासुरन होते हुए बेचे कुशवाहा के दरवाजे तक नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मयंक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के विकास खण्ड सादात सैदपुर बहरियाबाद मुख्य मार्ग डगरमौवा राजभर बस्ती तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवचरण राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा डोमनेपुर रमाशंकर राजभर के आवास के आगे से अमरजीत वर्मा के आवास तक सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर/क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कन्हैया माधोपुर द्वितीय में यासीनगंज से लेकर मरी माता मंदिर होते हुए हरदोई रोड तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहसिन चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत ग्राम इकधरा मसूदपुर मार्ग से ग्राम रमनगरिया तक सड़क मार्ग का निर्माण

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के अन्तर्गत नगर पंचायत पयागपुर के भूपगंज बाजार में वारीपुरवा चौराहा से मुख्य बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रखर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत चिल्लूपार क्षेत्र के तरैना नाला, भुतहा नाला आदि नालों की बरसात से पूर्व गहरी खुदाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुखतार यादव व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम चन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के यू0पी0 हैण्डलूम के पूर्व डिपो मैनेजर श्री के0पी0 मिश्रा के विरुद्ध षडयन्त्र के तहत की गई कार्यवाही पर दिये गये प्रत्यावेदन पर सवेतन बहाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री के0पी0 मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सोनबरसा स्थित 100 बेड के अस्पताल में सभी विभागों के चिकित्सक तैनात कराकर सुचारु रूप से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशि भूषण व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के सरधना क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत फलावदा में तैनात अधिशासी अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री मोहित तोमर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम उरैना पुख्ता, आनन्दपुर, रामगंगा नदी द्वारा हो रही कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री अंशुल सागर व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के लखनऊ पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शंकरपुरवा प्रथम, शंकरपुरवा द्वितीय आदि वार्डों में विद्युत एवीसी लाइन, पोल एवं खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र-220, कालपी के अन्तर्गत विकास खण्ड कुठौन्द में प्राथमिक विद्यालय रन्धीपुर से मालपुर बम्बा की

ओर सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम दुबे व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के माढरमऊ खुर्दही सुल्तानपुर रोड के अन्तर्गत डाक्टर राजपाल सिंह के मकान से सुल्तानपुर रोड तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समीर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के अयोध्यादास प्रथम वार्ड अन्तर्गत बंधा मार्ग से शिवचरण होटल होते हुए सीतापुर रोड तक मुख्य मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के किलाबाग सीतापुर विकास खण्ड कर्वी में भारत टेन्ट हाउस के बगल मेन रोड से जगदेव प्रसाद पुत्र स्व0 श्री सन्तराम के घर तक लम्बाई लगभग 140 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदेव प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर के अन्तर्गत ग्राम लिलहर में भगवान शिव की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत रोशनाबाद सम्पर्क मार्ग से जाटवन नगला तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऊधन राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच की तहसील मिर्हीपुरवा के विकास खण्ड बलहा में जूनियर स्कूल को सड़क मार्ग से जोड़ते हुए नई बस्ती चौराहे से तिखड़िया तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बल्देव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हाथरस के हीरागढ़ी से मशरूम फैक्ट्री तक जाने वाले मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिव्य प्रकाश राणा व अन्य निवासीगण जनपद हाथरस की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया के अन्तर्गत ब्लाक रूद्रपुर के तहसील मुख्यालय रूद्रपुर में स्थित जर्जर बस स्टेशन का टेण्डर

कराकर पी0पी0 मॉडल में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा आमारी मुख्य मार्ग से चौहान बस्ती तक सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय पडरौना में रिंग रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत रडिया व तेलउआ यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तेज प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के विकास खण्ड मैनपुरी में टिंडौली बरौली मार्ग से प्राथमिक विद्यालय नगला स्वामी एवं बहादुरपुर मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बॉबी यादव व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र-255, सोरांव के ग्राम गोहरी के मजरा बेचू का पुरा में पक्की नहर से राहुल कुमार के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव पूजन पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज, कौशाम्बी व चित्रकूट को जोड़ने हेतु नदी पर पीपा पुल के स्थान पर स्थाई पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम सिलौली में अशोक श्रीवास के मकान से लल्लू मिनी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के गहना गोवर्धनपुर में आयुष अस्पताल में चिकित्सक व सपोर्टिंग स्टाफ व चिकित्सकीय मशीनें एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराके अस्पताल संचालित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर विधान सभा क्षेत्र स्याना में विनोद मास्टर के मकान से रनवीर मंत्री के मकान की तरफ 200 मी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अछनेरा के ग्राम नागर में शहीद स्थल वाले चौराहे से दीवान सिंह मास्टर के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम कटवा में प्राचीन ललितेश्वर महादेव मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत धर्मार्थ योजना के तहत बटाउबीर मई लेदुका मार्ग के शेष भाग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शनि शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में विशुनपुरवा से हनुमानगंज मार्ग (लगभग 7.00 किमी०) का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के विकास खण्ड नकुड़ के ग्राम बाक्कर मजरा में राजकीय आई०टी०आई० की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशु व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड बनकटी के चित्राखोर से पक्कवा बाजार होते हुए गोलापार तक सड़क मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बाँसडीह के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी आवास का निर्माण एवं जाँच उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम फरीदपुर में सन्तराम फौजी के राइस मिल से यदुवंश यादव के घर तक खड़न्जा मार्ग पर पिच कार्य लगभग 500 मी० कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवली व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम मूर्ति वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा के ब्लाक बसखारी के ग्राम जल्लापुर साबुकपुर में भैसिहिया मार्ग से बलई गौतम के घर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत मुरावन मदरहा सम्पर्क मार्ग से गोसाई गांव पूरेखेम, पण्डित पुरवा, पूरे हरिद्वार आदि स्थान होते हुए सी०बी०एन० मार्ग तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निवास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्रभानु पासवान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के अन्तर्गत अमानीगंज मिल्कीपुर रोड से नन्दौली खाकी दास की कुटी से काली प्रसाद गौतक के दरवाजे तक लम्बाई लगभग 400 मी० सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रगट रावत व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ० शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के खोराराम बैतालपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम बाँकी होते हुए वौरडीह तिवारी से मुक्तिधाम बर्दगोनिया तक 5-6 किमी० सड़क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजमणि, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के ग्राम सभा बगगड़ी में मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर०पी० सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेश पाल सिंह उर्फ राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा तहसील मांट के अन्तर्गत ग्राम लोहई से ग्राम अमानुल्लापुर तक (लगभग 01 किमी०) मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवी सिंह मुनीम व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के ग्राम शिवदासपुर में जनरेल सिंह के झाला से धनली शिवदासपुर तक के सम्पर्क मार्ग

तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के विकास खण्ड सिरकोनी के अन्तर्गत सलधापुर स्टेशन के पास पक्की सड़क से सई नदी घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सभा यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र महोबा के ग्राम ग्योड़ी व श्रीनगर में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत इण्टर कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत सोरें मार्ग भिटोना बिजली घर से जखारूद्रपुर तक मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ग्रीश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती की तहसील हरैया के विकास खण्ड कप्तानगंज के ग्राम रमवापुर कला निषाद पुरवा से बेलवाजोर आज्ञाराम चौधरी के खेत तक 0 से लेपन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आज्ञाराम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के उरई विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर में ग्राम कपासी पुलिया से मनोज के मकान तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अरविन्द कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर की विधान सभा क्षेत्र-136, ददरौल के विकास खण्ड मदनापुर में सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अब्बास अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र सदर में अमृत सरोवर योजनान्तर्गत विकास खण्ड परदहां के ग्राम सरवां में बजरंग व्यायामशाला एवं तालाब का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्राम खोटे का पुरवा से रालपुर एवं ग्राम रामपुर तक 1100 मीटर

सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा कुकुरकटवा में ओनौर बिन्द बस्ती में सर्वजीत बिन्द के घर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कलेक्टर पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के ग्राम चौधरपुर में बाजार से कुरैशी मौ0 के मकान के सामने हाई-वे तक की कच्ची सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसनैन भाई व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के ब्लाक कोतवाली के ग्राम अकबराबाद में राजकीय कन्या इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 मंसूर आलम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के डाभा से लालपुर कन्हरी तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिप्रकाश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर की तहसील कलान में धुनई नगला से नरौरा तक नव निर्माण व पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरजपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम निवास वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र नानपारा के अन्तर्गत नानपारा नगर में गोयल तिराहा से रेलवे स्टेशन नानपारा मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ0 अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर की ग्राम पंचायत चाँदपुर के ग्राम पाल का पुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र निषाद व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम कठरा जमीन कठरा से अमिला को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के ब्लाक गुरसरांय के ग्राम गुढा के पास झारखण्ड पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के मोहल्ला डोमनपुर में प्रार्थी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित कुमार चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-जलीलपुर के ग्राम ताहरपुर गुलाम इमामैम में श्री सुनील कुमार यादव के मकान से नहर की पुलिया को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम सभा कवरा निषाद बस्ती में पेयजल योजना में स्थापित पानी की टंकी से हर घर जल की सप्लाई सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड-मंगरौरा के ग्राम सूर्यगढ़ जगन्नाथ में हरिजन बस्ती से मोक्षहा तक पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रामपाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र बालामऊ के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछौना में तीन वर्ष से बन्द चल रहे पी0सी0एफ0 केन्द्र को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम छत्तरपुर पिच रोड पर कब्रिस्तान के बगल से त्रिवेणी पिच रोड होते हुए लेयर फार्म से पिच रोड तक 02 किमी0 सम्पर्क मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र 203 दिबियापुर के अन्तर्गत ब्लाक भाग्यनगर में बबीना से भग्गा पूर्वा तक सड़क मार्ग नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर पाल व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बदायूँ विधान सभा क्षेत्र सहसवान ब्लाक दहगवाँ के अन्तर्गत सहसवान से नाघा होते हुए इस्लाम नगर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बदायूँ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ में लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुप्तियाज सिद्दीकी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजीव अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली के मणिनाथ स्थित बन्द रेल फाटक पर अण्डरपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमौली मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० अजय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद बागपत में छपरौली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ककौर बदरखा मार्ग से हलालपुर-बाछौड तक जर्जर खड़न्जा/सम्पर्क मार्ग नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बागपत की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज की नगर पंचायत कम्पिल में कतिपय योजनाओं में फैले व्यापक भ्रष्टाचार एवं धन गबन की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र शाक्य व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत भज्जापुर नहर पुल से मास्टरबाग कमलापुर मार्ग तक नहर की पटरी पर अवशेष भाग में पेन्टेड सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर की ग्राम पंचायत रवाना शिकारपुर में नेशनल जू० हाई स्कूल से श्मशान घाट तक ल० लगभग ८०० मी० पक्की रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एजाज अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली में नगर पालिका परिषद पं०दी०द०उ० नगर के वार्ड नं०-०५ बिछड़ी में दशरथ सोनकर के मकान से राजाराम सोनकर के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम लवेदी में लवेदी थाना से अम्बेडकर पार्क होते हुए तरकपुरा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजनन्दन चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत मस्वासी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के भवन का नव निर्माण एवं विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप गोयल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डॉ० आर० के० पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-370, मड़ियाहूँ के अन्तर्गत सैदीपुर मार्ग (एन०एच०-135) से (पचवल प्राथमिक विद्यालय के पीछे से वरदान विद्यालय तक) का नव निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविंद नगर के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन कार्य में गम्भीर अनियमितताएं, परीक्षण के दौरान सड़क फटने व फव्वारों के रूप में जल बहाव से जनहानि के सम्बन्ध में जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के वि०ख० गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम गोमीखेड़ा के पास लोन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर रावत व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा फाजिलनगर के अन्तर्गत दुदही ब्लॉक परिसर में 200 लोगों के बैठने हेतु मीटिंग हाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लल्लन प्रसाद गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री असीम कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र व विकास खण्ड-तमकुहीराज के ग्राम चखनी खासन टोला कोडरा से घोडही माता स्थान सम्पर्क मार्ग का सी०सी० निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के विकास खण्ड-फूलपुर ग्राम सभा राजेपुर, दयाराम सरोज के घर से रामसिंह विश्वकर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड-देवकाली के ग्राम सभा बुढनपुर नई पुलिया से सरायें शरीफ तक पिच कार्य (दूरी 2 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम अवतार पाल व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या उर्फ अनीला मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के नगर पंचायत हथगांव में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र-355, मुहम्मदाबाद गोहना के ब्लॉक रानीपुर की ग्राम पंचायत धर्मसीपुर में सूर्यबली के घर से जयप्रकाश के खेत तक (बरजौली) मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम दुलारे राम व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के अन्तर्गत विकास खण्ड-भनवापुर में भनवापुर मुख्य मार्ग से सहिजवार तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जहीर मलिक व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के विधान सभा व ब्लॉक खेरागढ़ में डांडा से कुल्हाडा मिर्चपुरा मार्ग पर नाले पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मान सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत वाछूपुर मजरे नीम टोकर से बछरावां रजबहा नहर की पटरी पर कंसरावा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में विकास खण्ड-जैतपुर के अन्तर्गत ग्राम मगरिया में रपटा का उच्चीकरण निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री धर्मराज सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत चौपुला नहर पुल से बाराबंकी बान्ध नहर की दोनों पटरी पर देवां तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर प्रजापति, निवासी जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाँदा के विकास खण्ड-महुआ के ग्राम कुरौली, घुराडा एवं भरखरी में नलकूप स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बाँदा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत कतिपय ग्राम पंचायतों में लगे जर्जर तारों को बदलवाये जाने व ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़वाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री शहजिल इस्लाम अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की तहसील बरेली सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड भोजीपुरा के ग्राम पंचायत भैरपुरा खजुरिया मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाशर अली व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बाबूराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद पीलीभीत के वि0ख0-पूरनपुर के अन्तर्गत रेलवे लाइन कुरैया कला के पश्चिम डगरे से पूरब डगरे तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हरिहरपुर रानी के मजरा सिसवा रोड से हरिहरपुर गुलहरिया अधारी पुरवा रोड सरदारपुर की रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष कैराती व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत सैदाबाद फुलपुर सम्पर्क मार्ग रेलवे स्टेशन के समीप मार्ग का नवीनीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरबिन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम बिलाश चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन से जनपद देवरिया के विधान सभा बरहज को जोड़ने वाले सेतु का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि, उत्तर प्रदेश विधान सभा की वित्तीय वर्ष 2026-27 की “लोक लेखा समिति”, “प्राक्कलन समिति”, “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति”, “सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति”, “प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति” तथा “पंचायती राज समिति” और “मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 (तीस) स्थायी समितियों” के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम है :-

नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	सोमवार, 09 मार्च, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे
नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा तिथि तथा समय	शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)
नामों की वापसी की तिथि तथा समय	मंगलवार, 24 मार्च, 2026 को अपराह्न 04:00 बजे तक

निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान सोमवार, 30 मार्च, 2026 को

(क) “लोक लेखा समिति”, “प्राक्कलन समिति”, “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति”, “सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति”, “प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति” तथा “पंचायती राज समिति” के लिए

(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 (तीस) स्थायी समितियों के लिए

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या-8 में पूर्वाह्न 10:30 बजे से 04:00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र संसदीय अनुभाग से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2026-27 की “लोक लेखा समिति”, “प्राक्कलन समिति”, “अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति”, “सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति”, “प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति” तथा “पंचायती राज समिति” और “मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 (तीस) स्थायी समितियों” में सदस्यता के लिए सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2026-27 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों के नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए भी यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चित करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित माने जाएंगे।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा कि विगत कई दशकों के बाद मंत्रियों को परामर्श देने वाली समिति का गठन सरकार की सहमति से हुआ था और विगत वर्ष एक बैठक भी हुई, परन्तु उसके उपरान्त कोई भी बैठक नहीं हुई। मेरा यह मा0 मंत्रिगण से निवेदन एवं सचिवालय को निर्देश है कि इस वर्ष मार्च माह के पहले एक बैठक अवश्य कर लें, उसके उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष में बैठक कर लें।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2026 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिश की है :-

दिनांक 17 फरवरी, 2026 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाये :-

- (1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
- (2) उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज आय-व्ययक 2026-27 पर चर्चा रात्रि 9 बजे तक होगी तथा सभी मा0 सदस्यों से यह निवेदन है कि सभी सदस्य बजट के ऊपर ही बोलें।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य हुईं।

प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति विषयक नेता विरोधी दल की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रिपोर्ट न आने के कारण कल सुने जाने हेतु पीठ से अनुरोध किया। जिस पर श्री अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

प्रदेश में जन्म, मृत्यु, मूल निवास तथा जाति प्रमाण-पत्र में रिपोर्ट लगाने में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति विषयक श्री मनोज कुमार पारस व श्री कमाल अख्तर की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री मनोज कुमार पारस ने कहा कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा लोगों के जन्म, मृत्यु, मूल निवास अथवा जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं, जिससे वह बहुत सारी योजनाओं में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में चल रही एस0आई0आर0 प्रक्रिया के तहत नए वोटर बनने के लिए फार्म-6 भरना पड़ता है, जिसमें जन्म प्रमाण-पत्र जरूरी अभिलेख बना दिया गया है, जबकि पहले मात्र घोषणा-पत्र के आधार पर फार्म-6 भर जाता था। जन्म प्रमाण-पत्र के अभाव में मतदाता अपना फार्म-6 नहीं भर पा रहे हैं। लाखों की संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित हैं। उन्होंने लोगों के आवेदन के सापेक्ष आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत कराने की मांग की तथा विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की। इस पर नेता विरोधी दल व श्री कमाल अख्तर ने बल दिया।

इस पर शासन का पक्ष रखते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस विषय को विगत सत्र में भी उठाया जा चुका है। एस0आई0आर0 की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के अधीन है। इस प्रक्रिया हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा 13 विकल्प दिये गये हैं और इससे जुड़े कार्मिक प्रक्रिया शुरू होने के दिनांक से डेपुटेशन पर चले जाते हैं तथा उन पर निर्वाचन आयोग का नियन्त्रण होता है। विपक्ष द्वारा सरकार को अनावश्यक कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। विषय सम्बन्धित सदस्यों के क्षेत्र का नहीं है, बल्कि अन्य सुदूर विधान सभा क्षेत्र का उल्लेख किया गया, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी मा0 सदस्य की बात का संज्ञान ले लिया गया है।

मुस्लिम समाज के वोट काटे जाने की बात पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे कार्यवाही का भाग न बनाए जाने का अनुरोध करने पर श्री अध्यक्ष ने इस पर सहमति व्यक्त की।

तदुपरान्त सरकार के उत्तर भाषण से असन्तुष्ट नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन किया।

नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार किया जाय।”

श्री मौहम्मद फहीम इरफान ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

“उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।”

निम्नलिखित सदस्यों ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किये :-

डॉ० मंजू शिवाच,

डॉ० रागिनी,

श्री संदीप सिंह,

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल,

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)

श्रीमती अंजुला माहौर,

श्री अशोक कुमार,

श्री ओम कुमार तथा

श्री पूरन प्रकाश।

मा० मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-03 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार किया जाय।”

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

नगर विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया जाय।”

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा में पक्ष और विपक्ष के सदस्य 2:1 के अनुपात में अपने विचार 05 से 07 मिनट भीतर समाप्त करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा आबकारी एवं मद्य-निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल) के भाषण से आरम्भ हुई।

इनके भाषण के मध्य अपराह्न 01 बजकर 51 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती कृष्णा पासवान पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लिया :-

डॉ0 विमलेश पासवान,
 श्री शहजिल इस्लाम अंसारी,
 श्री ओ0पी0 श्रीवास्तव,
 श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी),
 श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी,
 श्री विपुल दुबे,
 श्री हर्षवर्धन बाजपेयी,
 श्री महेन्द्र नाथ यादव,
 डॉ0 अजय कुमार,
 श्री रामरतन कुशवाहा,
 श्री ब्रजेश यादव,
 श्रीमती अनुपमा जायसवाल,

श्रीमती अर्चना पाण्डेय के भाषण के मध्य अपराह्न 03 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती अनुपमा जायसवाल पीठासीन हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री रामखिलाड़ी सिंह,
 श्री संजीव कुमार दिवाकर,
 श्री संजय सिंह गंगवार,
 श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह,

श्री महेन्द्र पाल सिंह,
 डॉ० राघवेन्द्र शर्मा,
 श्री फरीद महफूज किदवई,
 श्री जीत लाल पटेल,
 श्री सुशील सिंह,
 श्री कविन्द्र चौधरी,
 श्री विनोद चतुर्वेदी,
 श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया,
 श्री धर्मराज सिंह यादव,

श्री वीर विक्रम सिंह के भाषण के मध्य सायं 05 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

इसी मध्य श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का प्रकरण में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि धरना-प्रदर्शन लोकतन्त्र की नींव है। मनरेगा कानून को बदले जाने के विरोध में शान्तिपूर्वक धरना-प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को बलपूर्वक रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, यह लोकतन्त्र का हनन है। इस पर पीठ से संरक्षण की मांग करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि यकायक उठाए गये विषय पर उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जानकारी कर लेंगे।

तदुपरान्त निम्नलिखित मा० सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री राजीव तरारा,
 श्री बेदी,
 इंजी० सचिन यादव उर्फ जखई,

श्री चन्द्रपाल सिंह के भाषण के मध्य सायं 06 बजकर 01 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।

निम्नलिखित मा० सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री पीयूष रंजन निषाद,
 श्री राम सिंह पटेल,
 श्री सुरेन्द्र मैथानी,
 श्री अभय सिंह,

डॉ० वीरेन्द्र यादव,
 श्री गुरु प्रसाद मौर्य,
 श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका',
 श्री जै किशन साहू,
 श्री देवेन्द्र कुमार निम,
 डॉ० आर० के० पटेल,
 श्री गौरव कुमार,
 श्री किरत सिंह,
 लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश),
 श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी,
 श्री दीपक पटेल,
 श्री रमेश सिंह,
 श्री मौहम्मद फहीम इरफान,
 श्री अनिल कुमार सिंह,
 श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी,
 श्रीमती रेखा वर्मा,
 श्री जवाहर लाल राजपूत,
 श्री अशरफ अली खान,
 श्री प्रेमपाल सिंह धनगर,
 श्री तुफानी सरोज,

श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर के भाषण के मध्य सायं 05 बजकर 31 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीटासीन हुए।

निम्नलिखित मा० सदस्यों ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री राजेन्द्र कुमार,

श्री अताउर रहमान के भाषण के उपरान्त चर्चा आगे के लिए जारी हुई।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा अपनी नियम-51 की सूचना को स्वीकार किये जाने हेतु पीठ से अनुरोध किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि स्वीकृत सूचनाओं में से अनुपस्थित सदस्यों के स्थान पर क्रम से अस्वीकृत सूचनाओं में से अगली सूचनाएं ले ली जायेगी।

आज दिनांक 17 फरवरी, 2026 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 115 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

<u>क्र0-सं0</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्री शिवपाल सिंह यादव	जनपद इटावा में थाना प्रभारी भरथना द्वारा पीड़ित के साथ किये गये अभद्र व्यवहार एवं धमकी देने के प्रकरण में जाँच कर कार्यवाही के विषय में।
2	श्री कमाल अख्तर	कांठ विधान सभा क्षेत्र के खादर में 33/11 के0वी0 का बिजली घर बनवाए जाने के सम्बन्ध में।
3	श्री पंकज कुमार मलिक	जनपद मुजफ्फरनगर में फैक्ट्रियों (पेपर मिल/शुगर मिल/केमिकल फैक्ट्री/डिस्टलरी) से फैल रहे प्रदूषण को रोकने के विषय में।
4	श्री मनीष असीजा	जनपद फिरोजाबाद स्थित स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से चालू कराये कराये जाने के सम्बन्ध में।
5	डॉ0 संग्राम यादव	जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पराग डेयरी के कर्मचारियों का वेतन भुगतान विषयक।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

<u>क्र0-सं0</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	डॉ0 अमित सिंह चौहान	विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के नगर पंचायत खिरौनी सुचितागंज के नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की जाँच के सम्बन्ध में।
2	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया	विधान सभा क्षेत्र दातागंज में कटरा सादतगंज में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में।
3	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली में धान केन्द्रों पर नियम विरुद्ध प्राइवेट व्यक्तियों को केन्द्र प्रभारी बनाये जाने के विषय में।
4	श्री मौहम्मद फहीम इरफान	नगर पालिका परिषद् बिलारी क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत खुर्दी सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक।

निम्नलिखित मा10 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई :-

<u>क्र0-सं0</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज के महुआ बुजुर्ग में आपत्ति निरस्त कराकर दाखिल खारिज किये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री राजेन्द्र कुमार	विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ में टोंस नदी के पुल व एप्रोच रोड बनाये जाने विषयक।
3	श्री उमर अली खान	विधान सभा क्षेत्र बेहट में धान व गेहूँ क्रय केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	डॉ0 वीरेन्द्र यादव	जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर अन्तर्गत ग्राम बरही-बोगना सम्पर्क मार्ग एवं कालूपुर-युवराजपुर सम्पर्क मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
5	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी	विधान सभा क्षेत्र मारहरा, एटा में प्रस्तावित सरकारी पॉलीटेक्निक के स्थान पर बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराये जाने विषयक।
6	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा की तहसील धनौरा में अधिवक्ताओं के स्थायी व पक्के चैम्बर बनाये जाने विषयक।
7	श्री संजय कुमार शर्मा	ग्रेटर के नोएडा विकास प्राधिकरण अधिकारियों/ अभियन्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के सम्बन्ध में।
8	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य	विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के ग्राम डडवा एवं भोरई का पुरवा को नगर पालिका परिषद्, बेल्हा या किसी ग्राम पंचायत में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	प्रदेश के मझवार, तुरेहा सहित सम्बन्धित समुदायों को योजनाओं का लाभ दिलाये जाने विषयक।
10	श्री रमेश चन्द्र मिश्र	विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम तियरा में होम्योपैथिक अस्पताल के जर्जर भवन का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराने विषयक।
11	श्री नफीस अहमद	विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर, आजमगढ़ अन्तर्गत ग्राम सभा महाजी सिंघवारा नोनिया का पुरा (बंजरिया खास) में छोटी सरयू नदी पर लघु सेतु निर्माण के सम्बन्ध में।
12	श्री शफीक अहमद अंसारी	रिट संख्या-सी-25426/2025 नगर पालिका परिषद् स्वार बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-09-2025 के अनुपालन में

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
		कार्यवाही तथा गाटा संख्या-159, रकबा 2.0580 हे० भूमि नगर पालिका परिषद् स्वार को अधिकार प्रदान किये जाने एवं राजस्व परिषद् में लम्बित प्रकरण में शीघ्र निर्णय कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री राम अचल राजभर	जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा समैसा सम्पर्क मार्ग से राजू यादव के घर से सागर राजभर के घर तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्रीमती विजमा यादव	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के कतिपय विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।
15	श्री बावन सिंह	जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रूपईडीह में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेक्टर की स्थापना के सम्बन्ध में।
16	श्री विनय कुमार द्विवेदी	विधान सभा क्षेत्र मेहनौन, गोण्डा के बिशुनापुर बाजार से छिटनापुर गांव तक नव निर्माण के सम्बन्ध में।
17	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ब्लॉक जगनेर की ग्राम पंचायत चसौरा के मजरा नगला पल्लू से राजस्थान बॉर्डर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
18	श्री राम चन्द्र यादव	विधान सभा क्षेत्र रुदौली जनपद अयोध्या में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासन को वंदन योजना में प्रेषित डी०पी०आर० की अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने विषयक।
19	श्री हाकिम लाल बिन्द	विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे बासूपुर से रिखिपुर/फूलपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराये जाने विषयक।
20	श्री तुफानी सरोज	विधान सभा क्षेत्र केराकत, जौनपुर के तहसील केराकत से वाराणसी तक बसों का संचालन कराये जाने विषयक।
21	इंजी० बृजेश कठेरिया	विधान सभा क्षेत्र किशनी, जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत कुसमरा में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति व कब्रिस्तान की सुरक्षा कराये जाने विषयक।
22	श्री महेन्द्र नाथ यादव	विधान सभा बस्ती सदर में कतिपय मार्गों का निर्माण के विषय में।

शेष सूचनाएँ अस्वीकृत हुईं।

परशुराम वर्मा स्मारक महिला महाविद्यालय, मेमोरियल कॉलेज ऑफ फार्मसी, एजुकेशनल पब्लिक स्कूल/डीएलएड कॉलेज की जाँच पूर्ण कराकर कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया। अगले सत्र तक उक्त सूचना हेतु टाइम बाण्ड किया।

ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कैम्पियरगंज के कतिपय ग्रामों में जलापूर्ति कराने के सम्बन्ध में श्री फतेह बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का केवल वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सरधना में मवाना फलावदा से गडीना मार्ग के नंगला ऐजदी ग्राम की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

नोएडा-आगरा यमुना एक्सप्रेस-वे पर बलदेव (मथुरा) में उतरने-चढ़ने हेतु एक कट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश एड0 द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2026 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 09 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,

सतीश महाना,

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।